



खण्ड I ♦ अंक 4 जनवरी 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू

नीति

अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश/धन शोधन निवारण मानदंड

धन शोधन निवारण (एंटी मनी लांडरिंग) मानदंडों और आतंकवाद के वित्तपोषण (फाइनेसिंग ऑफ टेररिज्म) का मुकाबला करने के लिए *फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स* (एफएटीएफ) द्वारा की गयी सिफारिशों के आलोक में *अपने ग्राहक को जानिए* दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। ये मानदंड विनियामक प्राधिकारियों द्वारा धन शोधन निवारण और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी नीतियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार का काम कर रहे हैं। एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति द्वारा बैंकों को ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने के मामले में जारी किये गये पेपर के आधार पर व्यापक दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके निदेशक मंडलों के अनुमोदन से, *अपने ग्राहक को जानिए* और धन शोधन निवारण के मामले में उपयुक्त नीति बनायी जाती है।

उद्देश्य

अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों का उद्देश्य धन शोधन गतिविधियों के लिए अपराधी तत्वों द्वारा, जानबूझ कर या अनजाने ही, बैंकों का इस्तेमाल किए जाने से रोकना है। *अपने ग्राहक को जानिए* क्रियाविधि से बैंकों को अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देन को जानने/समझने का बेहतर अवसर मिलता है जिससे बैंकों को अपने जोखिमों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करने में मदद मिलती है। बैंकों को *अपने ग्राहक को जानिए* संबंधी नीतियां बनाते समय निम्नलिखित चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना चाहिए : ग्राहक स्वीकरण नीति; ग्राहक पहचान क्रियाविधि; लेनदेन की मॉनीटरिंग; और जोखिम प्रबंधन।

ग्राहक स्वीकरण नीति

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश निश्चित कर दिये गये हैं:

- अज्ञात नाम/छद्म नाम से या फर्जी/बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;
- कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टतः निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनीटरिंग जरूरी है - जैसे पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;

- संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएँ तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;
- जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें, जैसे जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों/सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में खाता न खोलना या मौजूदा खाते बंद कर देना। अलबत्ता, यह जरूरी है कि इस मामले में पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उदाहरण के लिए, किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफ़ी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।
- जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए, उनके बारे में, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैनडेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में/हैसियत से खाता खोला जाए;

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
नीति	
अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश/धन शोधन निवारण मानदंड	1
आवास ऋण और उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भारिता	3
सिडबी के पास रखी जमा राशियों पर क्रमबद्ध ब्याज दरें	3
शेयरों पर अग्रिमों के लिए मार्जिन बढ़ाया गया	3
त्सुनामी राहत	
बैंक त्सुनामी प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करें	3
त्सुनामी राहत : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान	4
बैंकिंग प्रणाली द्वारा राहत उपाय : पूर्वपीठिका	4

(vi) कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलता-जुलता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी संगठन इत्यादि।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि

बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गयी ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता/सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोतों, दस्तावेजों, डेटा या सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति/संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले नेचुरल व्यक्तियों को निर्धारित करें।

लेनदेनों की निगरानी

अपने ग्राहक को जानिए संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्त्व है निरंतर निगरानी। बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातों, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें। बैंक खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं को लांघने वाले लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से जाना होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही हैं। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल का देश, निधियों के स्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करने चाहिए। संदेहास्पद स्वरूप के लेनदेनों से संबंधित रिपोर्ट उचित विधि प्रवर्तक प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शाखाएं 5 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के समस्त नकद लेनदेनों (जमा तथा आहरण) का उचित रिकार्ड बनाए रखना जारी रखती हैं। आंतरिक निगरानी प्रणाली में ऐसे लेनदेनों तथा संदेहास्पद स्वरूप के लेनदेनों को नियंत्रक/प्रधान कार्यालय को पखवाड़े के आधार पर रिपोर्ट किये जाने के लिए कोई भीतरी क्रियाविधि होनी चाहिए।

जोखिम प्रबंधन

बैंक लेनदेन, खाते अथवा बैंकिंग/व्यापारिक संबंधों में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की क्रियाविधियां बनाएं तथा धन शोधन निवारण के लिए विभिन्न उपायों को लागू करें। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में अपने ग्राहक को जानिए क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर

टिप्पणी देनी चाहिए। संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए।

बैंकों को लगातार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ-सदस्य अपने ग्राहक को जानिए क्रियाविधियों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन (कंप्लायंस) स्टाफ तथा नये ग्राहक के साथ व्यवहार करने वाले स्टाफ को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु अलग-अलग होने चाहिए।

ग्राहक शिक्षा

अपने ग्राहक को जानिए क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसकी इसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी माँगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछें। अतः ग्राहक को अपने ग्राहक को जानिए कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

क्रेडिट/डेबिट/स्मार्ट/गिफ्ट कार्ड

अधिकांश बैंक विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं। ग्राहक इन कार्डों का माल तथा सेवाएं खरीदने, एटीएम में से नकद आहरित करने के लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व अपने ग्राहक को जानिए क्रियाविधियों को उचित रूप में लागू किया जाता है। यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी अपने ग्राहक को जानिए उपाय लागू किये जाते हैं।

मौजूदा खाते

जहां संशोधित दिशानिर्देश सभी नये ग्राहकों पर लागू होंगे, वहां बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों पर ये दिशानिर्देश खाते के आकार तथा जोखिम के आधार पर लागू करें। अलबत्ता, मौजूदा खातों में होने वाले लेन-देन पर निरंतर नजर रखी जानी चाहिए तथा खाते के परिचालन में कोई असामान्य बात नजर आने पर ग्राहक संबंधी उचित सावधानी बरतने के उपायों की समीक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। बैंक खाते के स्वरूप तथा प्रकार के आधार पर ऐसे खातों पर यौत्रिक सीमाएं लागू करने पर विचार कर सकते हैं। अलबत्ता, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कंपनियों, फर्मों, न्यासों, धर्मादायों, धार्मिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के सभी मौजूदा खातों पर न्यूनतम अपने ग्राहक को जानिए मानक लागू किए जाएं जिनसे नेचुरल/विधिक व्यक्ति तथा हितार्थी स्वामियों की पहचान की जा सके। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि मीयादी/आवर्ती जमा खातों अथवा उसी स्वरूप के खातों को उनके नवीकरण के समय नये खाते माना जाता है तथा उन पर संशोधित अपने ग्राहक को जानिए क्रियाविधि लागू की जाती है। जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा/अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को अपने ग्राहक को जानिए उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक अपने ग्राहक को ऐसा निर्णय लेने के कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग/व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है। ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है।

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू अब पर्सनल ई मेल आइडी पर

प्रेस संपर्क प्रभाग का यह प्रस्ताव है कि अब मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू ई मेल के जरिये भी उपलब्ध कराया जाये। इच्छुक पाठक अपने ई मेल आइडी कृपया help@rbi.org.in अथवा gmp@rbi.org.in पर भेजें। रिजर्व बैंक में कार्यरत पाठक मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू को इन्ट्रानेट पर निम्नलिखित पते पर भी देख सकते हैं : Microsoft Outlook>public folders>all public folders>Press Relations Division>Monetary And Credit Information Review.

प्रधान अधिकारी की नियुक्ति

बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिए नियुक्त करें। प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य/कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के आदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था, जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में शामिल हैं, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा।

आवास ऋण और उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भारिता

रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि बैंकों द्वारा व्यक्तियों को आवास ऋणों पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारिता, जो आवासीय संपत्तियों की जमानत और आवास वित्त कंपनियों की बंधक-समर्थित जमानत प्रतिभूतियों में निवेशों से पूर्णतः सुरक्षित है और जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अभिनिर्धारित और पर्यवेक्षित की जाती है, बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गयी है। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 75 प्रतिशत जोखिम भारिता के लिए पात्र आवास वित्त कंपनियों की बंधक-समर्थित जमानत के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज वेहिकल) द्वारा जारी प्रतिभूतियां 75 प्रतिशत जोखिम भारिता के लिए पात्र आस्तियों द्वारा समर्थित हों। अन्य सभी मामलों में यह प्रतिशत 100 होगा।

रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण, जिसमें वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड से प्राप्य राशियों की जोखिम भारिता 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दी है।

चूंकि जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात निरन्तर आधार पर बनाये रखना होता है, ऊपर उल्लिखित जोखिम भारिताएं सभी बकाया ऋण जोखिमों पर लागू होंगी।

सिडबी के पास रखी जमाराशियों पर क्रमबद्ध ब्याज दरें

विदेशी बैंकों द्वारा उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दायित्वों में कमी के बदले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास जमाराशियां रखने की योजना पुनः तैयार करने के संबंध में गांगुली कार्य दल की सिफ़ारिश के अनुसार रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को सूचित किया है कि -

त्सुनामी राहत

बैंक त्सुनामी प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे त्सुनामी प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए स्वयं आगे बढ़ कर कार्य करें। अपने पत्र (एडवाइजरी) में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उनके शाखा प्रबंधक अपने अनुभव और इन क्षेत्रों में कार्यरत अन्य एजेंसियों के साथ सलाह-मशविरा करके ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का पता लगायें जिन्हें मदद की जरूरत है और उन्हें आवश्यक राहत प्रदान करें और शाखा प्रबंधक प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने से पहले किसी प्राधिकरण द्वारा औपचारिक रूप से पीड़ितों की कोई सूची दिये जाने की प्रतीक्षा न करें। इसके अंतर्गत उधारकर्ताओं का पता लगाने में क्षेत्रों में कार्यरत अच्छे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद लेने और साथ ही साथ प्रभावित व्यक्तियों को उपभोक्ता ऋण की सीमा बिना किसी संपाश्विक के 5000 रुपये तक बढ़ाना शामिल होगा। यह सीमा उधारकर्ता की अदा करने की क्षमता को देखते हुए शाखा प्रबंधक के विवेक पर 10000 रुपये तक बढ़ायी जा सकती है।

इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे न्यूनतम शेष राशि, मान लीजिए 10 रुपये, के साथ बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दें ताकि पीड़ित व्यक्ति अपने खातों में राहत चेक प्राप्त कर सकें। पास-बुक/चेक बुक खो जाने की हालत में नयी पास-बुक/चेक बुक तुरंत जारी की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह

समग्र लक्ष्य में कमी (निवल बैंक ऋण के 32 प्रतिशत) या कुल उप लक्ष्य लघु उद्योग में कमी (10 प्रतिशत) और निर्यात ऋण (12 प्रतिशत) जो भी उच्चतर हो	सिडबी के पास रखी जाने वाली समग्र जमाराशियों पर ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
2 प्रतिशत पॉइन्ट से कम	बैंक दर (मौजूदा 6 प्रतिशत)
2 प्रतिशत और अधिक, परन्तु 5 प्रतिशत पॉइन्ट से कम	बैंक दर माइनस 1 प्रतिशत पॉइन्ट
5 प्रतिशत और अधिक, परन्तु 9 प्रतिशत पॉइन्ट से कम	बैंक दर माइनस 2 प्रतिशत पॉइन्ट
9 प्रतिशत पॉइन्ट और अधिक	बैंक दर माइनस 3 प्रतिशत पॉइन्ट

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दायित्व में कमी की राशि को तीन वर्ष की अवधि के लिए सिडबी के पास रखा जाना चाहिए।

(ii) सिडबी के पास रखी निधियों पर बैंक दर से जुड़ी हुई क्रमबद्ध ब्याज दर संरचना होगी, जैसा कि नीचे बॉक्स में दर्शाया गया है।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रभावी बनायी जायेगी ताकि विदेशी बैंकों को अपने संसाधनों के नियोजन के लिए पर्याप्त समय मिल पायेगा। सिडबी उधारकर्ताओं को निम्नतर ब्याज दरें देगा।

शेयरों पर अग्रिमों के लिए मार्जिन बढ़ाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने समीक्षा के बाद, तत्काल प्रभाव से शेयर/प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/गारंटियां जारी करने पर अग्रिमों के मार्जिन 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। उसने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे अपना न्यूनतम नकदी मार्जिन 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करें।

आपको याद होगा कि मई 2004 में शेयरों/प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों का वित्तपोषण/गारंटियां जारी करने पर अग्रिम के संबंध में मार्जिन 50 प्रतिशत के स्तर से कम करके 40 प्रतिशत और न्यूनतम नकदी मार्जिन 25 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया गया था।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में दान बिना प्रभार के ऑनलाइन

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 70, जनपथ, नई दिल्ली
- भारतीय स्टेट बैंक, संस्थागत प्रभाग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 14/15एफ, कॅनाट प्लेस, नई दिल्ली
- देना बैंक, मंगल भवन, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
- सिंडीकेट बैंक, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- कार्पोरेशन बैंक, M-41, कॅनाट सर्कस, नई दिल्ली
- बैंक ऑफ इंडिया, 54, जनपथ, नई दिल्ली
- इंडियन ओवरसीज बैंक संसद मार्ग, नई दिल्ली
- पंजाब नैशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- इंडियन बैंक, पी.45/90 कनाट सर्कस, नई दिल्ली
- इलाहाबाद बैंक संसद मार्ग, नई दिल्ली
- सिटी बैंक, तीसरी मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 कनाट सर्कस, नई दिल्ली

भी कहा है कि वे प्रभावित व्यक्तियों को शैक्षणिक ऋण दें ताकि वे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चों के लिए किताबें, कपड़े आदि खरीद सकें। जहां तक चूककर्ता मछुआरों और दूसरे प्रकार के उधारकर्ताओं के वित्तपोषण का सवाल है, बैंकों को कहा गया कि वे 18 जून 2004 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित बकाया वाले किसानों के वित्तपोषण के लिए घोषित योजना की ही तरह कोई योजना तैयार करें। बकाया वाले किसानों के वित्तपोषण की योजना बैंकों को भारतीय बैंक संघ द्वारा 7 जुलाई 2004 को भेजी गयी थी।

त्सुनामी राहत : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान

प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय बैंक संघ के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान एकत्रित करने के लिए दान राशियां स्वीकार करें और नई दिल्ली स्थित अपनी एक नोडल शाखा नामित करें। (देखें बॉक्स)

यह भी निर्णय लिया गया है कि संग्रहण करने वाली प्रत्येक शाखा दानदाता के नाम, उसके पते, चेक/ड्राफ्ट संख्या तथा योगदान की राशि सहित सभी ब्यौरे प्रतिदिन

नई दिल्ली स्थित अपने बैंक की संबंधित नोडल शाखा को भेजेगी। नोडल शाखाएं आगे ये निधियां 12 पदनामित शाखाओं में से किसी में भी जमा करायेंगी। ये 12 शाखाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि का खाता चला रही हैं। ऐसे बैंक जिनकी दिल्ली में कोई शाखा नहीं है, दानराशियां एकत्रित करें और दानदाता के नाम, उनके पते, चेक/ड्राफ्ट संख्या तथा योगदान की राशि के ब्यौरों के साथ एकल डिमांड ड्राफ्ट के जरिये जमा करायें अथवा इलैक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर सुविधा का लाभ उठाते हुए 12 पदनामित शाखाओं में से किसी को भी भेजें।

ऑनलाइन प्रेषण संवाएं देने वाले बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दानराशियां भेजने तथा दानराशियों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने की बात को अपनी अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें। बैंकों से कहा गया है कि वे ये सेवाएं बिना किसी शुल्क के दें।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान आयकर अधिनियम, की धारा 80(जी) के अन्तर्गत कर योग्य आय से 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूदा परम्परा के अनुसार दानदाता को आधिकारिक रसीद जारी करेगा।

बैंकिंग प्रणाली द्वारा राहत उपाय : पूर्वपीठिका

त्सुनामी लहरों ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के तटीय इलाकों में 26 दिसंबर 2004 को तबाही मचायी।

- 27 दिसंबर 2004 को रिजर्व बैंक ने त्सुनामी से प्रभावित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज शुरू किया। इसके अलावा, इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों से फीडबैक प्राप्त किया गया। उप गवर्नर श्री वी. लीलाधर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया था ताकि बैंकों के जरिए राहत तथा पुनर्वास उपायों की प्रगति की निगरानी की जा सके और यह देखने के लिए स्थिति की लगातार समीक्षा की जा सके कि कहीं और उपायों की जरूरत तो नहीं है।
- तीन राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष बैठकें तत्काल आयोजित की गयीं। बैंकों ने प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों, विशेष तौर पर मछली पालन में वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष उपाय अपनाये।
- कुछेक राज्य स्तरीय बैंकर समितियों से प्राप्त सुझाव के आधार पर त्सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों के मामले में उपभोक्ता ऋण की सीमा को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया।
- 29 दिसंबर 2004 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया कि वे अपनी सभी शाखाओं में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में दान प्राप्त करें और वसूली के प्रयोजन के लिए नयी दिल्ली में एक नोडल शाखा नामित करें। रिजर्व बैंक ने पब्लिक डोमेन पर पदनामित शाखाओं के नाम, खाता संख्या तथा एमआइसीआर

कोड भी डाल। अपने ग्राहकों को ऑनलाइन प्रेषण सेवाएं देनेवाले बैंक अपने ग्राहकों को दान के प्रेषण की अनुमति देंगे। इस तरह की सभी सुविधाएं देने के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे।

- भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से और 31 मार्च 2005 तक सभी संघों (राजनैतिक पार्टियों को छोड़ कर) जिनका सुनिश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम होता है, को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों से छूट दे दी है ताकि वे केंद्रीय सरकार से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किये बिना त्सुनामी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान कराने के लिए नकद अथवा वस्तु रूप में विदेशी योगदान प्राप्त कर सकें। अलबत्ता, यह छूट कुछेक शर्तों के अधीन दी गयी है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में अपनी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें।
- राष्ट्रीय आवास बैंक ने मकानों के निर्माण/मरम्मत/नवीकरण के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों की वित्तीय सहायता के लिए एक रियायती योजना तैयार की है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने यह प्रस्ताव दिया है कि प्रभावित व्यक्तियों के वित्तपोषण के लिए बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाए। नाबार्ड से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों को यह सूचित करें कि नावों, मछली पकड़ने के जाल आदि की खरीद के लिए मीयादी ऋण उपलब्ध कराने के लिए यूनिट लागतें (इस समय नाबार्ड द्वारा बैंकों के बीच परिचालित की जा रही) केवल संकेतात्मक दरें हैं और इस कारण ये लचीली होनी चाहिए और इनका फैसला बैंकों द्वारा स्थानीय स्थितियों को देखते हुए किया जाना चाहिए।